


1  
301  
दिनांक 440/ 2018/रीवा/भू 20

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा श्रीमान सदस्य  
महोदय सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)



देवदत्त द्विवेदी आत्मज श्री रामसजीवन द्विवेदी, निवासी-ग्राम खैरी, तहसील  
हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0) .....आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

रमेश 2. शेषमणि 3. रामनरेश, 4. नरेश चारो के पिता चन्द्रहास  
द्विवेदी, 5. सुरेश 6. देवेन्द्र 7. शिवेन्द्र तीनों के पिता जनार्दन 8.  
महेन्द्र कुमार तनय बैजनाथ प्रसाद द्विवेदी 9. दिनेश तनय बीरेन्द्र  
प्रसाद द्विवेदी, सभी निवासी-ग्राम पड़रा, तहसील हुजूर, जिला रीवा  
(म0प्र0) .....अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान  
अनुविभागीय अधिकारी महोदय बावत् प्रकरण  
क्र0 102/अपील/17-18 अन्तरिम आदेश  
दिनांक 19.06.2018

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-

1. यह कि उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी को दिनांक 28.03.18 को आदेश 1  
नियम 10 सी0पी0सी0 के अनुसार पक्षकार बनाया गया और लाल  
स्याही से जोड़ने के आदेश भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिया लेकिन  
आदेश का पालन कई पेशियों में नहीं हुआ और न ही अपील की  
प्रति न ही धारा 5 के आवेदन पत्र की प्रति प्रदान की गई।
2. यह कि बाद में प्रार्थी के विरोध करने पर वमुरिकल पक्षकार बनाया  
गया परन्तु अपील की प्रति एवं धारा 5 आदि की प्रति नहीं दी गई,



301

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0/4401/2018/भू-रा0

जिला-रीवा

देवदत्त द्विवेदी/ रमेश वगैरः

(1)	(2)
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री देवदत्त द्विवेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 102/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 19.06.18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 13.01.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य         </p> <p style="text-align: center;">  </p>

